न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः–रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–47/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/47)

1. हुक्माराम पुत्र गुल्लाराम जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र गुल्लाराम जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
2. सुदामा प्रसाद पुत्र हीरा जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
3. कन्हैयालाल पुत्र हीरा जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
4. धन्नालाल पुत्र बोदूराम जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
5. भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
6. गोपाललाल पुत्र हीरालाल जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
7. पप्पूडी पत्नि गणपतलाल जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
8. भंवरी देवी पत्नी लालचंद जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
9. तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान
10. प्रबंधक राजस्थान बैंक ऑफ महाराष्ट शाखा झरना, जिला जयपुर राजस्थान
11. शखा प्रबंधक कॉपोरेशन बैंक शाखा आसलपुर तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू जयपुर, विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.01.2021 राजस्व वाद संख्या 87/2016.

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र शर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 09
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8, 10, 11 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 22.10.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर दूदू जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2016 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद तथा उसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 11 इस आशय का पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 21.12.2016 अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट व अप्रार्थी संख्या 3, 4, 7 की ओर से श्री कन्हैयालाल माली एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 व 10 फोरमल पक्षकार है एवं अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं कर दिनांक 13.01.2021 को टी0आई0 प्रार्थना पत्र संख्या 87/2016 का अंतिम रूप से निस्तारण कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर दूदू जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2016 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 व 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व उनके अभिभाषक बरवक्त बहस उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस को प्रार्थी के पक्ष में सावित होना मानकर गंभीर भूल की है पक्षकारान सहखातेदार है एक खातेदार को दूसरे खातेदार के विरूद्ध पाबंद नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में निर्णय पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में यह पारित किया है कि प्रार्थी के कब्जे में दखलंदाजी ना करे प्रार्थी के नाम संपूर्ण आराजी नहीं है अपितु प्रार्थी हिस्सेदार है ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार को दूसरे खातेदार के विरूद्ध भौतिक राहत प्रदान करके विधि संबंधी त्रुटि की है। प्रार्थी के पक्ष में न तो सुविधा का संतुलन है न ही अपूर्तनीय क्षति है गलत रूप से विवेचन करके आक्षेपित आदेश प्रसारित किया है। जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी उसके तथ्यों पर गौर नहीं किया है अपितु आक्षेपित निर्णय में भी उसका विवेचन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में अंर्तनिहित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा सभी हिस्सेदारों के पूर्वजों के जमाने से ही बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है एवं मौके पर काबिज होने के तथ्य से विपरीत जाकर अवैधानिक रूप से निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2016 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. हमनें अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 11 के विरूद्ध पेश किया। दिनांक 11.07.

Scanned with CamScanner

2016 को प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये। दिनांक 18.07.2017 को अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7 की ओर से श्री कन्हैयालाल एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा। दिनांक 23.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से श्री मोहित सैन एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग दी, जवाब हेतु अवसर चाहा तथा दिनांक 13.01.2021 को अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 11.02.2021 को अपील पेश की गई। अपीलांट द्वारा उक्त अपील में कथन किए गए कि प्रथम दृष्टया केस को वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित होना मानकर एक खातेदार को दूसरे खातेदार के विरूद्ध पाबंद नहीं किया जा सकता है जबकि पक्षकारान सहखातेदार है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा किए गए कथनों व पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर जो विवरण दिया गया है जिसके अनुसार पक्षकारान के मध्य प्रथम दृष्टया प्रकरण बंटवारे का है जिसके अनुसार पक्षकारों के मध्य अविभाजित आराजीयात है जिसका की विधिवत बंटवारा नहीं हो रखा है। बिना बंटवारे किये भूमि के प्रत्येक इंच पर सहखातेदारान का हिस्सा होता है। वाद विचाराधीन है विभाजन के प्रश्न का निर्धारण तथा पारिवारिक समझौता–पत्र दिनांक 20.07.2015 के आधार पर पक्षकारान के हक–हकूक का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा। वर्तमान अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 01 हुक्माराम रिकार्डेड सह खातेदार है उनके द्वारा यदि आराजी का रहन, बय व मुन्तकिल किया जाता है या विवादित आराजी में दूसरे को वेदखल किया जाता है तो प्रकरण में वेवजह पेचीदगीयॉ बढ़ेगी इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को अपीलांट अपने पक्ष में सिद्ध नहीं कर पाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों प्रमुख तत्व प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08/अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया गया है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर दूदू जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2016 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

22/10/24

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner